# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**अपील(सू.का.अ)संख्या 46/2022** बउनवानी रतनलाल आजाद बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कले. सवाईमाधो
पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, निवासी पीपलदा, तहसील बौंली
**GCMS No-2022/90**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **16.6.2022** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.4.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—<br>1. कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक प.12(12)विविध/राजस्व/16/3849 दिनांक 22.6.2016 से संबंधित पत्रावली के समस्त पत्रों /समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br><br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.1()सूकाअ/2022/364 दिनांक 7.6.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक प.12() सूकाअ/2022/2711दिनांक 28.4.2022 द्वारा किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर सूचना चिन्हित करने बाबत लिखा जाने पर अपीलान्ट स्वंय कार्यालय मे उपस्थित हुआ एवं वांछित सूचना कुल 13 पृष्ठों की चिन्हित की जाकर 26 /—रू प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने के उपरान्त अपीलान्ट को वांछित सूचना जरिये पत्रांक 241 दिनांक 18.5.2022 से भिजवायी जा चुकी है। चूंकि वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसपर अपीलान्ट द्वारा कोई उज्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ. 1(41)सूकाअ/2022/241 दिनांक 18.5.2022 जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का उज्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अर्थात अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ट है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Suresh Kumar Ola<br>Date: 2023.03.17 17:23:08 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(सुरेश कुमार ओला)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |